संख्या-4/2017/142/सैंतीस-2-2017-1(36)/2013

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-08 फरवरी, 2017

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चकगंजरिया लखनऊ में उपलब्ध भवनों/सुविधाओं को रहमान खेड़ा, लखनऊ पर पुनर्स्थापित करने हेतु निर्माण कार्यों के लिए अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-08/पशुधन-2/(16)रहमानखेड़ा-लखनऊ/2016-17, दिनांक-23.01.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-पशु तथा भैंस विकास-05-चकगंजरिया फार्म की कतिपय इकाईयों की पुनर्स्थापना-0503-राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से प्रश्नगत परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यों की पुनरीक्षित आंकलित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-207.88 लाख (रूपये दो करोड़ सात लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल इस निर्देश के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी:-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय प्रकरण में नामित कार्यदायी संस्था 'उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0' द्वारा गठित आगणनों पर व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक-21.01.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण उपलब्ध परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
(3) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद का होगा।
(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।
(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, वस्तुतः जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य मद/प्रयोजन में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-पशु तथा भैंस विकास-05-चकगंजरिया फार्म की कतिपय इकाईयों की पुनर्स्थापना-0503-राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-4/2017/142(1)/सैंतीस-2-2017- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
7. संबंधित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in